कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक – 387 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 02 अगस्त, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कॉठ मार्ग) एस0एच0–49 कि0मी0 14 के (चैनेज 13.552–13.600) की बॉयी पटरी पर ग्राम लदावली के खसरा सं0–242 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– आपका पत्रांक–55 / मुरादाबाद / 33064 / 2018 दिनांक 09–07–2018.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 09.07.2018) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या–276 / 14–1, दिनांक 01–08–2018 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या / प्रस्ताव की 3–3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

Observ No.	Observation of Nodal	Reply
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–58(1)पर संलग्न बाधक वृक्षों के विवरण में 31–60 व्यासवर्ग व 150 व्यासवर्ग के प्रजातिवार वृक्षों का योग त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ–58(1)पर संलग्न बाधक वृक्षों के विवरण में 31–60 व्यासवर्ग व 150 व्यासवर्ग के प्रजातिवार वृक्षों का योग सही कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2	परियोजना में 250 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की योजना संलग्न की गयी है, जिसकी अंकलित धनराशि अत्यन्त कम है, इस धनराशि में रोपण व 10 वर्ष हेतु अनुरक्षण की पर्याप्त नही प्रतीत होती। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा रिटेल आऊटलेट की निर्गत स्वीकृतियों में सामान्यतः 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की शर्त अधिरोपित की जाती है। अतः तदनुसार 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की सुसंगत योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने तथा आनलाईन पार्ट–2 पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।	100 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की सुसंगत योजना प्रस्ताव के पेज संख्या–42 से 44 तक संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	आनलाइन पार्ट–2 के एडीशनल इनफारमेशन डिटेल्स में अनेकों महत्वपूर्ण अभिलेख यथाः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार / सेंचुरी उपलब्ध होने संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित वन भूमि की उपयुक्ता आदि अपलोड नहीं है। अपलोड कराने का कष्ट करें।	आनलाइन पार्ट–2 के एडीशनल इनफारमेशन डिटेल्स में अनेकों महत्वपूर्ण अभिलेख यथाः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार / संचुरी उपलब्ध होने संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित वन भूमि की उपयुक्ता आदि ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक–प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ मूल में।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 387 / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्रांक–276 / 14–1, दिनांक 01–08–2018 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव / अभिलेख (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।